कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : जुलाई 2014

1. निगम क्षेत्र में निर्मित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्श एवं संधारण हेतु नीलामी जोन वाईज एक वर्ष (1 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015 तक) के लिए की जावेगी जो लाईसेस जारी किये जाने की दिनांक से मानी जावेगी। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों की सूची निगम वेबसाईट: www.jaipur.mc.org की होर्डिंग साईट पर देखी जा सकती है।
2. नगर निगम जयपुर में निर्मित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की जोन वाईज खुली नीलामी हेतु अमानत राशि निम्नानुसार होगी – सिविल लाईन जोन हेतु रू. 2 लाख, विद्याधर नगर जोन हेतु रू. 1.5 लाख, सागानेर जोन हेतु रू. 1 लाख, मानसरोवर जोन हेतु रू. 2 लाख, हवामहल पूर्व जोन हेतु रू. 2 लाख, मोती डूंगरी जोन हेतु रू. 5 लाख, आमेर जोन हेतु 75000 रू. एवं हवामहल पश्चिम जोन हेतु रू. 75000 अमानत के रूप में नगर निगम कोष में अग्रिम जमा कराने होंगे जो ठेका समाप्ति अवधि तक जमा रहेंगे।
3. पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की नीलामी नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी। खुली नीलामी के आधार पर शर्तो के अनुसार राशि जमा होने पर अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।
4. प्रथम, द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि बोली समाप्ति पर लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता की 1/4 राशि जमा होने पर द्वितीय एवं तृतीय बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता की 1/4 राशि जमा नही होने पर अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि अगले कार्यदिवस को डी.डी./बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। आगामी वर्ष 01 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के देय टैक्स की राशि जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी ।
6. पर्याप्त बोली राशि प्राप्त नही होने अथवा अन्य कारणों से नीलामी तिथि को आगे बढ़ाने का अथवा आगामी तिथि में जारी रखने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
7. अनुज्ञापत्रधारी को शर्तों के अनुबंध पर लाईसेस जारी होने के 15 दिवस के भीतर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. पुलिस छतरियों व गुमटियों पर किसी भी तरह के अश्लील, आपत्तिजनक एवं अवैध विज्ञापन यथा अवैध प्रिंटिंग/लिखावट/बैनर्स लगाना, पोस्टर्स, पम्पलेट्स, पतंग, आदि को लगते ही तुरन्त हटवाने/पुतवाने का दायित्व संवेदक का होगा अन्यथा नगर निगम जयपुर द्वारा उपरोक्त तरह के अवैध/अश्लील/आपत्तिजनक विज्ञापन हटवाने पर प्रति पुलिस छतरी/गुमटी 500 रू. कैरिंग चार्ज वसूल किया जायेगा जो नोटिस में उल्लेखित अवधि में जमा नहीं कराने पर अमानता राशि से कैरिंग चार्ज की कटोती की जावेगी।
9. ठेका समाप्ति पर पुलिस छतरियां एवं गुमटियां नगर निगम जयपुर की सम्पत्ति होगी उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में ठेका समाप्ति तिथि के अगले दिन जोन कार्यालयों को सम्भलवानी होगी अन्यथा प्रति गुमटी/छतरी रू. 500 विज्ञापन हटवाने/ साफ करवाने का हर्जा खर्चा संबधित जोन कार्यालय द्वारा वसूल किया जावेगा तथा निगम को विज्ञापन प्रदर्श हटवाने तक जितने दिन तक विज्ञापन प्रदर्श होगा उतने दिन की आनुपातिक राशि ठेकेदार द्वारा जमा करानी होगी। छतरियों एवं गुमटियो के चौरी हो जाने, टूट जोन, नष्ट होने पर छतरी/गुमटी संवेदक द्वारा बनाकर सुपुर्द करनी होगी।
10. नगर निगम द्वारा स्वीकृत पुलिस गुमटियों/छतरियों की संख्या में किसी कारण से कमी होती है तो अनुज्ञापत्रधारी यातायात पुलिस की सहमति से स्वयं के खर्चे पर स्वीकृत संख्या तक पुलिस गुमटी/छतरी स्थापित कर सकेगा।

(2)

11. यातायात पुलिस विभाग द्वारा अथवा नगर निगम जयपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस छतरियां/यातायात पुलिस गुमटियां लगवाने का पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञापत्रधारी को निर्धारित ड्राईंग अनुसार नई पुलिस छतरियां एवं नयी पुलिस गुमटियां बनवाकर स्थापित करनी होगी। जिसकी अनुपातिक राशि नगर निगम कोष में जमा करानी होगी जो कि ठेका राशि की अनुपातिक होगी व नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित की जायेगी।
12. पुलिस छतरियों के संबंध में दो ऊपरी एवं दो निचली साईड पर निगम द्वारा दी गयी ड्राईंग के अनुसार विज्ञापन करने का अधिकार अनुज्ञापत्रधारी को होगा। शेष भाग यातायात विभाग से अनुमोदित श्लोगन सवेदको को लिखवाने होगें, अर्थात् अनुज्ञापत्रधारी (सफल बोलीदाता) द्वारा पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर 50 प्रतिशत हिस्से पर विज्ञापन एवं 50 प्रतिशत हिस्से पर ट्रेफिक पुलिस विभाग द्वारा जारी किये श्लोगन के लिए आरक्षित रखना होगा।
13. पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों को स्थापित करने हेतु पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं, वस्तुओं की व्यवस्था अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। नगर निगम जयपुर द्वारा इसके लिए कोई खर्चा अनुज्ञापत्रधारी को नही दिया जायेगा। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों में बिजली कनेक्शन लेने एवं बिजली उपभोग के बिल का भुगतान अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा।
14. पुलिस छतरी एवं गुमटी की स्थापना के समय किसी तरह की फुटपाथ, रोड़, भूमि, टाइल्स आदि के नुकसान के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापत्रधारी जिम्मेदार होगा, नगर निगम जयपुर किसी भी तरह जिम्मेदार नही होगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी को पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर क्रम संख्या एवं जोन का नाम लिखना अनिवार्य होगा एवं उपरोक्तानुसार सूची मुख्यालय एवं जोन में प्रस्तुत करनी होगी।
16. सरकारी योजना के कारण अथवा किसी अन्य कारण से पुलिस गुमटी/छतरी हटा दी गयी हो अथवा मौके पर नही हो/अन्यत्र शिफ्ट करनी पडे तो अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं यातायात पुलिस से तालमेल कर नये स्थान पर गुमटी/छतरी स्वयं के खर्चे पर स्थापित कर सकेगा। इसकी सूचना निगम में देनी होगी तथा इस प्रकार संवेदक को होने वाली किसी भी आर्थिक हानि के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
17. पुलिस छतरी/गुमटी गिरने से किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग/किसी चल व अचल सम्पत्ति का नुकसान होने पर नुकसान की भरपायी का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी स्वयं का होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नही होगी। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यदि कोई पुलिस कार्यवाही करनी हो अथवा कोई न्यायिक कार्यवाही करनी हो तो स्वयं के स्तर पर करनी होगी। यदि अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला/वाद किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा दायर किया जाता है तो उसके संबंध में कार्यवाही का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का ही होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
18. अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/नगर निगम जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करने हेतु बाध्य होगा।
19. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
20. नीलामी की अंतिम बोली को नगर निगम जयपुर द्वारा स्वीकृति पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन पत्र प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। उसके बाद ही अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगा।
21. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
22. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा, तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
23. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
24. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
26. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं
आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन एवं संधारण की शर्तें

नीलामी : जुलाई 2014

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण की **लाईसेंस की शर्तें** निम्न प्रकार हैं :–

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष **(01 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015 तक)** के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।
2. नीलामी सूची अनुसार निर्मित शौचालयों पर की नीलामी **पृथक–पृथक निर्मित शौचालय की होगी व शौचालय** बाबत निगम द्वारा स्वीकृत बोली दाता को राशि जमा करानी होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म द्वारा नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये **15,000/– अक्षरे (पन्द्रह हजार रूपये मात्र)** प्रति निर्मित शौचालय पर अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी । 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा निर्मित शौचालयों एवं संधारण की पुनः नीलामी की जावेगी ।
4. निगम सीमा में सूची अनुसार निर्मित शौचालयों की दीवार पर निर्धारित खाचो पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, जो 400 वर्गफुट से अधिक नहीं होगा। नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे । अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन, नशे के चित्र (संकेत या लिखित) विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा ।
5. बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन एवं सीवर कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
6. विज्ञापन उपविधियां–2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन–पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे–खर्चे पर हटवा देवे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर निर्मित शौचालयों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा । नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि सहित जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर बैंकर चैक/डीडी द्वारा जमा करानी होगी । आगामी **वर्ष 01 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016** के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के बैंकर चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। इस प्रकार वर्ष **01 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017** तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स बैंकर चैक/डीडी द्वारा राशि जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी ।
8. निगम द्वारा लाईसेन्सी को बिल/नोटिस भेजने के बाद यदि गणना, अवधि आदि में कोई त्रुटी रह जाती है तो निगम द्वारा की गई गणना, अवधि आदि किसी भी त्रुटी को लाईसेन्सिग ऑथोरिटी द्वारा दुरस्त/सुधार कर, संशोधित बिल/नोटिस प्रेषित किया जायेगा जिसकी पालना लाईसेन्सी को करनी होगी।
9. निर्मित शौचालयों पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव एवं सुन्दर रखने का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निर्मित शौचालयों पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा एवं इन्हें लाइसेंसी द्वारा तुरंत हटाया जावेगा । यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।
10. लाईसेन्स अवधि में निर्मित शौचालयों व संधारण की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी । निर्मित शौचालयों पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है । विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शौचालय में किसी प्रकार की टूट–फूट होगी तो

P.T.O.

(21)

लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा । शौचालयों का स्ट्रेक्चर दुरूस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा । निर्मित शौचालयों का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी।

11. निर्मित शौचालयों में शौचालय/बाथरूम/यूरिनल व अन्य सामान की देखभाल, टूट–फूट व रख–रखाव का दायित्व लाईसेन्सधारी का होगा। लाईसेन्स अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट–फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा स्वयं के हर्जे–खर्चे पर ठीक कराना होगा। शौचालयों की सुविधाओं को दुरस्त हालत में रखना होगा। कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी। अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (निर्मित शौचालय सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी ।
12. लाईसेन्सधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में जोन आयुक्त या अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से निर्मित शौचालयों को सही हालात में रख–रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. निर्मित शौचालयों का बंद होने व खुलने का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा जो प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक से कम नही होगा।
14. निर्मित शौचालयों पर उपलब्ध सुविधाओं का निर्धारित शुल्क शौचालय उपयोग के लिए 2/– रू. व बाथरूम के उपयोग के लिए 5/– रू. होगा एवं यूनिरल का कोई शुल्क नहीं होगा। निर्धारित शुल्क की दरों को निर्मित शौचालयों पर पठनीय स्थल पर दिखता हुआ लगाना अनिवार्य होगा।
15. निर्मित शौचालयों का संधारण एवं रख रखाव प्रतिदिन करना होगा जिसमें रोजाना टायलेट की सफाई, यूनिरल फर्श व दीवारे, छत एवं अन्दर की व बाहरी दीवारों की नियमित सफाई करनी होगी। सफाई के लिए फ्नाईल, नेफ्थीलीन वॉल का उपयोग करना होगा साथ ही टायलेट में साबुन, टावल व हाथ सुखाने के लिए डायर की व्यवस्था करनी होगी। आयुक्त राजस्व, आयुक्त स्वास्थ्य या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्मित शौचालयो का निरीक्षण उपरान्त उपरोक्त अनुसार सफाई नही होने पर उनके द्वारा प्रतिवेदन पर बोलीदाता की जमा अमानता राशि से 500 रू. प्रतिदिन की दर से कटौती करने बाबत आदेश जारी करने का अधिकार लाईसेंन्सिंग ऑथोरिटी, नगर निगम जयपुर का होगा। शर्तो के उल्लंघन पाये जाने पर लाईसेन्स, लाईसेंन्सिंग ऑथोरिटी, द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। शौचालयों पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखेगा।
16. निर्मित शौचालयों पर संधारणकर्ता फर्म का नाम एवं नगर निगम जयपुर का नाम एवं लोगो अंकित करना अनिवार्य होगा।
17. फर्म द्वारा निर्धारित विज्ञापन स्थल के अलावा निर्मित शौचालयों पर अंदर व बाहरी दीवारों पर अन्य कोई भी विज्ञापन, पोस्टर, स्टेच्यू व अन्य प्रचार विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित नही करेगा और ना ही करने देगा।
18. निर्मित शौचालयों में किसी भी प्रकार का ताशपत्ती व अन्य खेल नही करेगा और ना ही करने देगा।
19. लाईसेंसी किसी अन्य व्यक्ति/ऐजेन्सी फर्म को हस्तानान्तरित नहीं करेगा।
20. लाईसेंसी/फर्म निर्मित शौचालयों का आवासीय उपयोग नहीं करेगा एवं जानवर/वाहन पार्किंग इत्यादि के लिए निर्मित शौचालय के बाहर व अन्दर उपयोग नही करेगा।
21. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
22. जनहित/यातायात में बाधा होने पर अथवा BRTS/जयपुर मेट्रो परियोजना के कारण निर्मित शौचालयों को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
23. अगर शर्त संख्या 21 अनुसार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
24. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर को अपील की जा सकेगी।
25. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
26. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
27. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
28. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ट्राईऐंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : जुलाई 2014

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं **लाईसेन्स की शर्तें** :–

1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (**01 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015**) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/– रू. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी।
4. नीलामी के पश्चात् एकजाई साईट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साईटों का (**01 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016**) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष हेतु ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइटों का नवीनीकरण (01 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नही होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान को प्रभावित नहीं करेगा की पूर्व शर्त नहीं होगी । नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनो तरफ) 3'X10' फुट होगी जिसमें 3'X6' फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, 3'X2' फुट (तीन तरफ) घडी व तापमान एवं 3'X2' फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेंसी को वहन करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
10. लाईसेंस अवधि समाप्ति पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा–खर्चा लाईसेन्सधारी फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।

P.T.O.

12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम ड्राईंग के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाईन बनाने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
13. ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नही किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति मे ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खडा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
26. अगर कोई ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
27. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
28. सभी ट्राईऐंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
29. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : जुलाई 2014

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एवं **लाईसेन्स की शर्तें** :–

1. जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक–पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16'X8' फीट साईज के तथा 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक 16'X8' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए रूपये 15,000/ (पन्द्रह हजार रूपये) तथा प्रत्येक 30'X15' फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 25,000/–(पच्चीस हजार)रू. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अनानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
4. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 16'X8' फीट के तथा 30'X15' फीट साईज के यूनिपोल साइटों का (01 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष 16'X8' फीट के तथा 30'X15' फीट साईज के लिए यूनिपोल साइटों का नवीनीकरण (01 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी । किसी विभाग के आपत्ति होने के कारण अथवा अन्य अड़चन होने के कारण, फर्म द्वारा बिना नगर निगम की अनुमति से, अपनी इच्छा से, स्थल का चयन कर यूनिपोल नहीं लगाया जा सकेगा व उस पर विज्ञापन नही किया जा सकेगा। किसी विभाग के आपत्ति होने पर संबंधित विभाग के आपत्ति होने का पत्र संबधित फर्म द्वारा प्राप्त कर नगर निगम जयपुर को प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जावेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी। बिना निगम स्वीकृति के अन्यत्र स्थान पर लगा हुआ यूनिपोल अवैध माना जावेगा जिसे निगम द्वारा हटवा दिया जावेगा।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तानुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र सूची में अंकित स्थल अनुसार साइट प्लान सहित जारी केया जा सकेगा।
8. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
9. लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि को यूनिपोल सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति द्वारा स्वयं के खर्चे पर हटवा लिया जायेगा अन्यथा लाईसेंस अवधि समाप्ति तिथि के तुरन्त बाद निगम द्वारा हटवाने पर 16'X8' यूनिपोल के लिये रू. 30,000/– एवं

P.T.O.

30'X15' के यूनिपोल के लिये रू. 60,000/– हर्जा–खर्चा वसूल किया जायेगा एवं यदि यूनिपोल हटवाने की कार्यवाही में, यूनिपोल की आंशिक या पूर्णक्षति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार नगर निगम जयपुर के प्रारूपकार की देखरेख में ही लगाया जावेगा जिसका प्रमाणीकरण प्रारूपकार द्वारा किया जायेगा। उनकी देखरेख के बिना एवं स्व: विवेक से सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा–खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा। यदि हटाते समय यूनिपोल फिक्सचर की आंशिक या पूर्ण क्षर्ति होगी तो नगर निगम जयपुर की कोई भी जिम्मेदारी नही होगी।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञाप्त्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालन के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खडा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम–2009 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नही लौटाई जायेगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां–2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।
28. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : जुलाई 2014

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट स्थलों) की नीलामी एव लाईसेन्स की शर्तें :–

1. सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साईटों के लिए नीलामी सूची अुनसार पृथक–पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
2. निगन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015) तक के लिए की जावेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाइसेन्स फीस पर जारी केया जवेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर निर्धारित स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत अधिकार होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
4. प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के लिए रूपये 20,000/– (बीस हजार रूपये) बतौर अमानता के रूप में नगद या डीडी निगम में जमा करवाने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्ति होने के बाद लौटाई जायेगी व उच्चतम बोलीदाता के अलावा शेष बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
5. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साईट को स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि लाईसेंस जारी होने की देनांक से 30 दिवस के अंदर डीडी या बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। आगामी वर्ष के लिए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों का (01 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016) तक के लिए नवीनीकरण निगम द्वारा किया जा सकेगा परन्तु इसके लिए लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। दूसरे वर्ष के लिए 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइटों का नवीनीकरण (01 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017) तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि का डीडी या बैंकर चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक प्राप्त नही होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
7. 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा (या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं।) 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
8. 20X10 वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
9. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर सिल्वर रंग के होंगे, जिनको सही हालत में रखना होगा। एवं प्रत्येक 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल पर प्रदर्शित विज्ञापन को बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा।
10. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि यूनिपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। किसी भी

P.T.O.

(2)

प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नीचे नहीं गिरे। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।

12. लाईसेन्स अवधि में 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिती में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन के दौरान यदि किसी 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का स्ट्रेक्चर दुरूस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का सामना चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।

13. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।

14. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञाप्त्रधारी के 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल मुडकर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार पुनः लगाने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्त्रधारी की होगी।

15. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

16. बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान एवं अन्य खर्चे लाईसेन्सी को वहन करना होगा।

17. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।

18. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।

19. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नही लौटाई जायेगी।

20. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।

21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को निर्धारित अवधि में ही करना होगा।

22. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तो की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।

23. लाईसेंस समाप्ति पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल नगर निगम जयपुर को सभलवाने होंगे, उन पर किये गये सम्पूर्ण विज्ञापनों को साफ करवाकर/हटवाकर सही हालत में लाईसेंस समाप्ति पर नगर निगम जयपुर को संभलानी होगी तथा 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल के चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट होने पर 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी को बनाकर सुपुर्द करनी होगी अन्यथा उस समय की बाजार दर से 20'X10' वर्गफुट के निर्मित यूनिपोल का नगर निगम को भूगतान करना होगा।

24. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।

25. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।

26. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ओवर हैड साईनेज की शर्तें

नीलामी : जुलाई 2014

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं संधारण करने की **लाईसेंस की शर्तें** निम्न प्रकार हैं :–

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष **(01 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015 तक)** के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 20,000/– अक्षरे (बीस हजार रूपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईनेज अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी । प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त स्वीकृत बोली दर की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में जमा कराई जायेगी जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जायेगा। यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी ।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी । 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ओवर हैड साईनेज की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां–2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा ।
5. ओवर हैड साईनेज पर लगे दिशा सूचक साईनेज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम व जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईनेज रेट्रो रिफलेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
6. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
7. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन–पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे–खर्चे पर हटवा देंगे।
8. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ओवर हैड साईनेज पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा । नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। आगामी वर्ष 01 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के देय टैक्स की राशि जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अनानता राशि जब्त कर ली जावेगी ।
9. ओवर हैड साईनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा । इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । ओवर हैड साईनेज पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया

P.T.O.

जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा । यदि नहीं हटायेगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।

10. लाईसेन्स अवधि में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट–फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा। ओवर हैड साईनेज का स्ट्रेक्चर दुरूस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी।
11. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत मे) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी । शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी ।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
13. जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाइसेंसी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा । 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा ।
14. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां–2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंस ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. शर्तो में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम जयपुर में निहित होगा तथा वही मान्य होगा तथा अनुज्ञापत्रधारी को पालना करनी होगी।
18. समय–समय पर राज्य सरकार एव केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन अनुज्ञापत्रधारी को ही करना होगा। शर्तो
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तो की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र आयुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।
20. इस अनुज्ञापत्र के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।
21. लाईसेंस की शर्तो के संबंध मे यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होता है तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

बस शैल्टर्स की शर्तें

नीलामी : जुलाई 2014

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए बस शैल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की **लाईसेंस की शर्तें** निम्न प्रकार हैं :–

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी ।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 20,000/– अक्षरे (बीस हजार रूपये मात्र) प्रति शैल्टर्स अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी । यह राशि लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी ।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी । 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा बस शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे बस शैल्टर पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां–2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे । अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा । निर्मित बस शैल्टर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर जयपुर सिटी का मानचित्र प्रदर्शित करना होगा । स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा ।
5. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्चा लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
6. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन–पट्ट को लाईसेन्सी के हर्जे–खर्चे पर हटवा देंगे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर बस शैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा । नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। आगामी वर्ष **01 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016** के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व अर्थात 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का बैंकर चैक/डीडी जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष **1 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017** तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि बैंकर चैक/डीडी जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी ।
8. बस शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा, इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस शैल्टर्स पर किसी व्यक्ति/फर्म/संस्थान द्वारा पोस्टर चिपकाने पर बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाये जाने पर, उसे लगते ही तुरंत हटाने की जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी, यदि लाईसेंसी द्वारा तुरंत नहीं हटवाये जाते है तो नगर निगम द्वारा हटवाये जाने पर लाईसेंन्सिग ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित किया गया हर्जा–खर्चा लाईसेंसी को नगर निगम जयपुर कोष में तुरंत जमा कराना होगा। हर्जा–खर्चा तुरंत जमा नहीं कराने की दशा में, जमा अमानत राशि में से कटौती कर ली जायेगी।
9. लाईसेन्स अवधि में बस शैल्टर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी । बस शैल्टर्स विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है । विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट–फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्चे पर ठीक करवाना

(21)

होगा। शैल्टर्स का स्ट्रेक्चर दुरूस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। बस शैल्टर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी।

10. लाइसेंस अवधि समाप्ति तक लाईसेंसी को सभी शर्तो की पालना करनी होगी व ठेका अवधि समाप्ति पर बसशैल्टर सही हालत में सुपुर्द करने होंगे। लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना लाईसेंसी द्वारा किये जाने पर, जमा अमानता राशि लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी । शर्तो की पालना नहीं होने पर जमा अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
11. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
12. जनहित/यातायात में बाधक होने पर बस शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाइसेंसी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को बस शैल्टर शिफ्ट करना होगा ।
13. अगर कोई बस शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
14. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर को हो सकेगी।
15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी. आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
16. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
17. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्रा को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा। जिसे निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा तथा पेनल्टी एवं ब्याज की राशि लाईसेंसधारी द्वारा जमा कराई जावेगी।
21. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
22. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण से जमा करवाई गई राशि नगर निगम जयपुर द्वारा नही लौटाई जायेगी।
23. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पडे तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
24. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
25. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय नगर निगम जयपुर की सक्षम समिति/बोर्ड का होगा जो मान्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर